

28/9
20

वकील याचों के आवेदन पत्र पर पत्रावली
 सींगे से तलब की गई। याचों की ओर
 से मद्रास हाईकोर्ट में 'आच्यवस्ता श्री मदनलाल
 चपलानेन वहालतनामा पेश किया।
 याचों मप आच्यवस्ता उपाख्यत धरु एरु
 याचना पत्र पेश कर निवेदन किया कि
 याचों के अपने पिता सातारामजी से उत्त
 विवाद के संबंध में राजीनामा हो गया है
 इसलिये याचों अपने याचना पत्र को आगे
 नहीं चलाकर इसी स्टेज पर विद्वा कर
 खारिज करना चाहता है अतः याचों को
 विद्वा करके याचना पत्र खारिज किया जाकर
 याचों को याचना पत्र न्यार 212 राठकाठ आच्ये
 इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया
 जाता है। पत्रावली मद्रास हाईकोर्ट
 से समझ

मदनलाल चपलानेन

[Signature]

उपखण्ड अधिकारी
 मद्रास हाईकोर्ट (राज.)

